2017/00235

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 51/2017 (रसद अपील)

मैसर्स राजेन्द्र जैन प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पीपला, तहसील फागी जिला जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व निर्णय दिनांक 8.11.2017 व आदेश दिनांक 13.11.2017 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 209/2017

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. राजकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 26-11-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत पीपला तहसील फागी जिला जयपुर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एंतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्तो तथा निर्बन्धनों एवं राज्य व केन्द्र सरकार के आदेशों व सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण यूनिट रजिस्टर में दर्ज राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को निमानुसार करता आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा नियमित लेखे संधारित किये जाते है एवं विवरणियां नियमित रूप से सक्षम अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जाती है। दिनांक 8.9.2017 को श्री ज्ञानचन्द प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री राजेन्द्र जैन के नाम की दुकान लम्बी अवधी से अटैच लगाई जाती रही है। श्री राजेन्द्र जैन की दुकान को नियमानुसार बहाल या निरस्त करे। प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बिना किसी जांच व साक्ष्य के श्री राजेन्द्र जैन को अवकाश ले कर भी दुकान संचालन करना बताया। दिनांक 04.10.2017 को एक नोटिस जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी को उपरोक्त रिपोर्ट का हवाला देते हुये भेजा जिसमें स्वेच्छा से राशन सामग्री वितरण का कार्य नही किया जाना बताया । अपीलार्थी ने नोटिस नम्बर 10326 दिनांक 4.10.2017 का जबाब जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर को दिनांक 8.11.2017 को प्रस्तुत किया, जिसमें यह निवेदन किया किया कि अपीलार्थी को जारी नोटिस अपास्त कर अपीलार्थी को राशन सामग्री वितरण करने हेतु उपलब्ध व आवंटन की जावे।

जिला कलक्टर जयपुर

जबाब के साथ उन्हें उपखण्ड अधिकारी फागी को प्रस्तुत पत्र दिनांक 11.01.2017 व 9.6.2017 की प्रतिलिपि पेश की जिसमें दुकान बहाल करने तथा वितरण करने हेतु राशन सामग्री उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई थी इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि प्रार्थी का अवकाश जिला रसद अधिकारी जयपुर के आदेश कमांक 14 दिनाक 8.1.2015 के द्वारा स्वीकृत है। प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को बिना सुने अपने आदेश दिनांक 13.11.2017 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि प्रकरण संख्या 209/2017 के द्वारा आदेश किया कि अपीलार्थी राजेन्द्र जैन की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत पीपला तहसील फागी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाना पाये जाने के कारण उसका प्राधिकार पत्र निणर्य दिनांक 8.11.2017 द्वारा निरस्त कर उसकी समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार कर ली गई। जिससे अपीलाधीन आदेश से व्यथति हो कर यह अपील पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थी को नाटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया । प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के जबाब का अवलोकन सही तरीके से नहीं किया गया और केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को सत्य मान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी की माताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण राशन वितरण कार्य में कुछ माह का अवकाश प्रदान करने हेतु जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर करते हुये जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी का अवकाश आदेश कमांक 14 दिनांक 08.01.2015 द्वारा स्वीकृत किया गया। जिला रसद अधिकारी ने आदेश कमांक 08.01.2015 द्वारा अपीलार्थी की दुकान मैसर्स गजानन्द खटीक उचित मूल्य दुकान डीडावता तहसील फागी से अस्थाई रूप से सम्बद्व कर दी थी। जिसकी प्रतिलिपि प्रवर्तन निरीक्षक फागी को भी दी थी। उक्त आदेश के उपरान्त प्रवर्तन दल द्वारा समय समय पर अपीलार्थी की दुकान को अन्य उचित मूल्य दुकानों के सम्बद्व किया जाता रहा है।अपीलार्थी द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.1.2017 को उपखण्ड अधिकारी फागी को दुकान पुन चालू करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे निवेदन किया गया था कि बार बार जिला रसद कार्यालय के चक्कर लगाने व प्रवर्तन अधिकारी को निवेदन करने पर भी अप्रार्थी की दुकान चालू नही की गई है। इसलिए दूकान चालू करवाई जावे। जिससे उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा मूल ही जिला रसद अधिकारी जयपुर को प्रेषित कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 09.06.2017 को कैम्प पीपला में उपखण्ड अधिकारी फागी को दुकान पुनः चालू करने हेतु प्रावर्थना पत्र प्रस्तुत किया जो उन्होंने प्रवर्तन निरीक्षक फागी को प्रेषित किया। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2017 में यह नहीं बताया कि अपीलार्थी ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदाथ'(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की किस शर्तो का उल्लघन किया है जबकि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के अन्तर्गत जारी किया जाता है न कि खण्ड 6 के अन्तर्गत जारी किया जाता है। खड 6–

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्बन्धनों व शर्तो की अनुपालना बाबत है। अपीलार्थी का अवकाश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने स्वीकृत किया है इस कारण उक्त स्वीकृत अवकाश को न माना जाना न्यायिक व प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित व निर्णित आदेश 8.11.2017 में भारी भूल की है। जिसके अनुसार मैसर्स सेवाराम उचित मूल्य दुकानदार ग्रम पंचायत ढेहरा तहसील सांभर लेक का प्राधिकार पत्र निरस्त करने व धरोहर राशि जब्त करने का निर्णय पारित किया था जबकि आदेश दिनांक 13.11.2017 राजन्द्र कुमार जैन उचित मूल्य दुकान ग्राम पीपला तहसील फागी का जारी किया गया है इस प्रकार निर्णय दिनाक 8.11.2017 व आदेश दिनाक 13.11.2017 में काफी विरोधाभाष है। अपीलार्थी के विरूद्व ऐसी कोई अनियमितता नही बतलाई गई जिससे कि प्राधिकार पत्र निरस्त करने जैसा दण्ड पारित किया जावे। अपीलार्थी द्वारा जब दुकान का संचालन नही किया जा रहा था तो प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लधंन किया जाना एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना किसी प्रकार साबित नही होता है इस कारण प्रथम दृष्टया यह निर्णय व आदेश गलत होना साबित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र एवं जब्त धरोहर राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी डीलर द्वारा स्वेच्छा राशन सामग्री वितरण का कार्य नहीं किया जा रहा था जिससे उचित मूल्य दुकान का बार–बार अस्थाई अटैचमेन्ट किया जा रहा था । अपीलार्थी डीलर स्वेच्छा से कार्य नहीं करने का दोषी पाये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय व आदेश से उसकी समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एव उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी पर किसी प्रकार का अनियमितता व कालाबाजारी किये जाने का अरोप नही है। केवल स्वेच्छा से उचित मूल्य दुकान का संचालन नहीं किये जाने का आरोप है। जबकि अपीलार्थी द्वारा उसकी माता जी का स्वास्थ्य खराब होने से राशन वितरण से कुछ माह के लिए अवकाश चाहा जाने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा आदेश कमांक 14 दिनांक 058.1.2015 से अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 10.01.2017 को उचित मूल्य दुकान चालू करने के एि उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मूल ही जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही वाही हेतु प्रेषित कर दिया गया, । इसके बाद दिनांक 9.6.2017 को भी अपीलार्थी द्वारा पुनः उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अपपनी उचित मूल्य दुकान को चालू करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो मूल ही प्रवर्तन निरीक्षक को प्रेषित किया गया है। जिन पर जिला रसद अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। अपीलार्थी राजेन्द्र जैन के विरूद्व कार्यवाही संस्थित की गई जबकि निर्णय के अन्तिम पैराग्राफ में मैसर्स सेवाराम उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत डेहरा तहसील सांभर को प्राधिकार पत्र की शर्तो की अनियमितता करने का दोषी मानते हुये उसकी धरोहर राशि जब्त कर डीलर का

प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश राजेन्द्र जैन की उचित मूल्य दुकान के लिए पारित किया गया है या मैसस सेवाराम की उचित मूल्य दुकान के लिए पारित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व आदेश की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.11.2017 व आदेश दिनांक 13.11.2017 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर राजेन्द्र जैन की उचित मूल्य दुकान ग्राम पचायत पीपला तहसील फागी का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26-11-2019 को सरे इजलास सुना गया ।

(जगरूप सिह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर